निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1935 (श0)

(सं0 पटना 25) पटना, वृहस्पतिवार, 2 जनवरी 2014

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

19 दिसम्बर 2013

सं0 22/नि0सि0(मुज0)–06–11/2007/1560—श्री देवराज रजक, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, गाडा प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के विरूद्व उनके पदस्थापन अवधि वर्ष 2005–06 में सम्पादित जल निस्सरण योजनाओं के कार्यो की जॉच विभागीय उड़नदस्ता अंचल, पटना से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोपरान्त प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञाप सं0–667 दिनांक 12.4.10 से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही चलायी गयी।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए निम्न असहमति के बिन्दूओं पर विभागीय पत्र सं0–317 दिनांक 02.04 12 से द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गयाः–

1. एक वर्षा ऋतु एवं बाढ़ अवधि में हुए Silation की मात्रा–05 से 10 प्रतिशत तक हो सकती है, चूँकि ड्रेनेज चैनल द्वारा जमे हुए पानी का निकासी होती है, जिसमें अधिकतर गाद Sendimentation के कारण वही नीचे जम जाते है। इसके अतिरिक्त वर्षा एवं बाढ़ के कारण अचनाक अधिक पानी आने के कारण इसमें पर्याप्त वेग से अधिकतर गाद ड्रेनेज चैनल से निस्तारित हो जाता है। जॉच दल द्वारा पायी गयी भिन्नता लगभग 23 से 40 प्रतिशत तक की है, जो अत्यधिक है Slide Slope घास आदि उगने के कारण मूल निशान बदलने की सम्भावना बतायी गयी है, जबकि मिट्टी की खुदाई के साक्ष्य लम्बे समय तक अलग से दिखाई पड़ते है।

2. वर्ष 2006 में विभागीय आदेश के आलोक में गठित प्रावैधिक जॉच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को स्वीकृत प्राक्कलन एवं इसके विरूद्व किये गये भूगतान के आधार पर तैयार किया गया है। जॉच समिति द्वारा Chainwise स्थल की मापी लेकर मापपुस्त में प्रविष्ट मापी से तुलना नहीं की गयी है। अतः इस प्रतिवेदन को सामान्य प्रतिवेदन माना जा सकता है एवं इसे दोषमुक्त करने का आधार बनाना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है।

3. क्षेत्रीय विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष गाड़ा, मुजफ्फरपुर के आदेश सं0–1/स्था0 –9/2008–09 सह पठित ज्ञापांक 1052 दिनांक 03.11.10 द्वारा विषयांकित अनियमितता हेतु इन कार्यो में संलग्न कनीय अभियन्ता सह प्रभारी सहायक अभियन्ता श्री उमाशंकर प्रसाद सिंह को दंडित किया जा चुका है।

प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त श्री रजक के विरूद्व गाडा प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के अधीन कुल चार अद्द सम्पादित जल निस्सरण योजनाओं के ड्रेनेज चैनल में त्रुटिपूर्ण ठंग से मिट्टी की मात्रा की गणना करने एवं अधिकाई भुगतान के आरोप को प्रमाणित पाया गया।

उक्त प्रमणित आरोप के लिए श्री रजक, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः–

1. ''निन्दन'' वर्ष 2005–06
2. एक वेतनवृद्वि पर तीन वर्षो तक असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त निर्णय श्री देवराज रजक, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 25-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in